[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त, 2018

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित “पैरासीटामॉल” के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 अक्तूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और जो कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित “पैरासीटामॉल” के आयात के बारे में है, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 07/16/2018-डीजीएडी, दिनांक 24 मई, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में दिनांक 24 मई, 2018 को प्रकाशित किया गया था, के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार इस प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने की सिफारिश की है;

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 अक्तूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 710 (अ) दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

“2क. चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित “पैरासीटामॉल” के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में अधिसूचना संख्या 07/16/2018-डीजीएडी, दिनांक 24 मई, 2018, जिसे 24 मईं, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1 में

प्रकाशित किया गया था, के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा शुरू की गई समीक्षा में दी गई सिफारिशों के अनुपालन में, पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना 26 अप्रैल, 2019 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी, बशर्ते कि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है या इसको आस्थगित नहीं रखा जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो" ।

[फाइल संख्या 354/93/2001-टीआरयू (पार्ट-IV)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 को सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।